न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 80/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		धर्मदास पुत्र दाउलाल अरोडा निवासी गोपाल भवन के अन्दर, नागौरी गेट, जोधपुर फर्म: अरोडा रेस्टोरेंट, बलदेव मिर्धा सर्किल, जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी धर्मदास पुत्र दाउलाल अरोडा निवासी गोपाल भवन के अंदर, नागौरी गेट, जोधपुर, फर्म अरोडा रेस्टोरंट, बलदेव मिर्धा सर्किल, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.09.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा मिर्धा सर्किल स्थित अरोडा रेस्टोरेंट जोधपुर की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक व अपना नाम धर्मदास पुत्र दाउलाल बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 06 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों भण्डारित कर व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के दस्तावेजों की जांच की गई जिसमें से 01 सिलेण्डर (इण्डेन) से संबधित कोई दस्तावेज

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

प्रस्तुत नहीं किए गए। 01 सिलेण्डर (भारत) का अवधिपार व अनुपयोगी पाया गया, जिस पर सिलेण्डर क्रमांक स्पष्ट अंकित नहीं थे।

उक्त सिलेण्डरों से संबंधित कोई भी विधिक दस्तावेज व कनेक्शन डायरी प्रतिष्ठान संचालक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी। मौके पर अवैध भण्डारित पाए गये 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	आई.ओ.सी.एल	अस्पष्ट	19.3 कि.ग्रा.	21.300 कि.ग्रा.	2..0 कि.ग्रा.
2.	बी.पी.सी.एल	अस्पष्ट	19.2 कि.ग्रा.	35.200 कि.ग्रा.	16.0 कि.ग्रा.

उक्त 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री जोराराम पुत्र श्री बलवंताराम प्रतिनिधी मारवाड गैस सर्विस जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 06 में से 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को बिना विधिक दस्तावेज एंव अवधिपार होने के बावजूद उपयोग में लिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 02 व्यवसयिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। नोटिस तामिली उपरान्त भी पेशी दिनांक 13.06.2025 को अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर वास्ते जवाब न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 09.07.2025 को पेश हुई। वक्त बहस अप्रार्थी पुनः अनुपस्थित रहा।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

निष्कर्ष

अप्रार्थी द्वारा बावजूद सूचना निरन्तर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए हमने विभागीय पेरौकार की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया गया। जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (इण्डेन एंव भारत) के अवधिपार होने एंव बिना विधिक दस्तावेज के प्रतिष्ठान पर उपयोग लिया जाना पाया गया। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर अवधिपार गैस सिलेण्डरों का उपयोग कर जनसामान्य के जीवन को भी खतरा उत्पन्न किया है। साथ ही बिना विधिक दस्तावेज के प्रतिष्ठान पर अवधिपार व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का भण्डारण एंव उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों (इण्डेन व भारत) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर